

158
22/3/19

वर्तित विवाहित (आराजी हाल ए. नं. 20 काठे जगज
बोहरा न. विजारा का बच गरी करने हेतु दोनों पक्षों
को पाबन्द किया जाता है। रेस्पों. की लाभील हेतु फ्रा.
से वासिल सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक
4.4.19 को प्रेषित है।

सूचनाएं अधिकारी एवं फोन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

विभागाध्यक्ष उभयपक्ष उपायुक्त/राजस्व अपील अधिकारी
काठ बचकाष्ठ दफ्ते पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वावस्था
काले पूर्वावस्था दिनांक 20.6.19 को प्रेषित है।

4
19

13
6
19


प्राची अपील सं. 2 के प्राप पत्र पर आज पत्रावली
पेशी पर ली गई। इस प्राप पत्र में प्राची
अपील सं. 2 ने निवेदन किया है कि मूल वाद
निस्तारित हो चुका है। अतः धारा 212
की अद्व अपील सारहीन हो चुकी है। इसलिए
इसे खारिज की जावे।

इसने प्राप पत्र पर गौर किया।

प्राप पत्र के साथ दावा नं. 375/2009 की
फोटो प्रति पेश की गई है, जिससे अस्पष्ट न
है सिद्ध है कि प्रकार से संबंधित
मूल वाद निस्तारित हो चुका है।

अतः मूल वाद ही निस्तारित है।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील
अलवर [राज०]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही
	<p>चुकी है जो ऐसी स्थिति में चार्टर 212 की ग्रह अपील प्रभावहीन हो चुकी है ।</p> <p>अतः अपील प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है ।</p> <p>प्रतावली फसल सुमा हो ।</p> <p style="text-align: right;">  भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर </p>